अध्याय II : रक्षा मंत्रालय

2.1 रक्षा भूमि का अनुपयुक्त प्रबंधन

रक्षा संपदाओं के असंतोषजनक प्रबंधन के उदाहरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में बार-बार बल दिए जाने के बावजूद, उसमें कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं था। स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा रक्षा भूमि का दुरूपयोग, समय पर पट्टे का नवीनीकरण न करने के कारण पूर्व पट्टेदारों द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि से संबंधित मामले निरंतर बने रहे।

प्रस्तावना

रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) सेवाओं एवं अन्य अभिकरणों की परिरक्षा में होने वाली भी रक्षा भूमि का स्वामी है। रक्षा संपदा महा निदेशक (डी जी डी ई) , जो एक अंतरसेवा संगठन है, रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है। डी जी डी ई की सहायता कमान स्तर पर प्रधान निदेशक/ निदेशक, रक्षा संपदा (पी डी डी ई / डी डी ई) द्वारा की जाती है। पी डी डी ई/ डी डी ई के अधीन मंडल स्तर पर रक्षा सम्पदा अधिकारी (डी ई ओ) हैं जो भूमि के अभिलेखों का रखरखाव करने तथा छावनी के अंदर और बाहर ऐसी भूमि का प्रबंधन, करने के लिए उत्तरदायी हैं।

रक्षा संपदाओं के कुप्रबंध तथा रक्षा भूमि के दुरूपयोग के मामले समय-समय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के प्रतिवेदनों यथा 2007 की प्रतिवेदन संख्या 4, 2008 की प्रतिवेदन संख्या सी ए 4, 2008-09 की प्रतिवेदन संख्या सी ए 17, 2010-11 की प्रतिवेदन संख्या सी ए 12 तथा 2010-11 को प्रतिवेदन संख्या पी ए 35 में प्रस्तुत किए गए हैं।

लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने पट्टों के निष्पादन/ नवीनीकरण में विलंब पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007 की प्रतिवेदन संख्या 4 के पैराग्राफ 2.1 की जांच करते समय रक्षा मंत्रालय से कड़े अनुपालन हेतु निम्नलिखित संस्तुतियां की थीः

(i) एक कैलेंडर के माध्यम से पट्टा विलेखों के कार्यान्वयन और पट्टो के नवीनीकरण से संबंधित सही अभिलेखों का रखरखाव करने के लिए एक प्रभावकारी कार्यविधि तैयार की जाए;

(ii) छः महीने से अधिक समय के लिए लंबित रक्षा भूमि के पट्टे के सभी मामलों की पहचान करना तथा उनको अंतिम रूप देने हेतु समय निश्चित करना;

(iii) प्रत्येक पाँच वर्षो में दरों की यथोचित वृद्धि के अंतर्निहित खंड के साथ नियत तिथियों में पट्टों के नवीनीकरण हेतु एक नीति को अपनाना; तथा

(iv) असामान्य विलंब/अकर्मण्यता/गलतियों के लिए संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराना।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने 2010-11 एवं 2011-12 के बीच रक्षा भूमि प्रबंधन की संवीक्षा यह निश्चित करने की दृष्टि से की किः

- अधिकृत एवं वैध उद्देश्यों के लिए रक्षा भूमि का उपयोग किया जाता है,
- स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों (एल एम ए) तथा अन्य अधिवासियों द्वारा भूमि का दुरूपयोग नही किया जा रहा है,
- पट्टे के नवीनीकरण/ समाप्ति में कोई अनुचित विलंब नही है,
- पट्टेदारों से किराया एवं प्रीमियम की वसूली चालू दरों पर की जा रही है और कोई किराया बकाया नही है, तथा
- डी ई ओ द्वारा निजी/ सरकारी भूमि के सामयिक और सही अधिग्रहण/ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं।

हमने देखा कि विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार रक्षा संपदाओं के खराब प्रबंधन के मामलों पर विशेष बल दिए जाने तथा पी ए सी द्वारा संबद्ध नियमों एवं विनियमों के कड़े अनुपालन के लिए विशेष निर्देश जारी करने के बावजूद, रक्षा भूमि के प्रबंधन में कोई भी महत्वपूर्ण सुधार नही हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, रक्षा भूमि का दुरूपयोग, पट्टों के नवीनीकरण/ समाप्ति में असामान्य विलंब, जिससे बकाया किरायों का विशाल संचय हुआ है, दूसरे विभागों द्वारा रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ो आदि से संबंधित अनियमितताएँ चलती रही, यथा निम्नलिखित मामलों में विस्तृत हैः

लेखापरीक्षा परिणाम

क. रक्षा भूमि के पट्टों के नवीनीकरण में असामान्य विलंब के परिणामस्वरूप राजस्व की वसूली न होना

पट्टों के नवीनीकरण में अनुचित विलंबों से बचने हेतु, रक्षा संपदा अधिकारियों को प्रत्येक मामले में पट्टे की समाप्ति की तिथि से कम से कम एक वर्ष के पूर्व कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। नवीनीकरण कार्य पर विचार किए जाने से पहले किरायों के अद्यतन भुगतान की आवश्यकता के बारे में पट्टेदार को सलाह भी दी जाएगी। किंतु, इस विषय पर रक्षा मंत्रालय के स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद, जाँच परीक्षित छः मामलों में पट्टे के नवीनीकरण में हमने अनुचित विलंब देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹829.71 करोड़ के राजस्व की वसूली नही हुई, जो निम्नवत् हैः

पट्टों के नवीनीकरण में असाधारण विलंब के कारण राजस्व की हानि दर्शानेवाली तालिका

मामला	स्टेशन	भूमि का क्षेत्रफल	पूर्व पट्टेदार का नाम	वर्ष जब से पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया	बकाया राजस्व राशि (₹करोड़ में)
1.	कोलकाता	153.416 एकड़	रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब	2007	814.00
2.	पूणे	1 एकड़ 36 वर्ग गज़	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	1966	5.39
3.	दिल्ली छावनी	5525 वर्ग फुट 12000 वर्ग फुट	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1995	6.79
4.	दिल्ली छावनी	3011.07 वर्ग फुट	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1992	1.48
5.	थाणे (मुम्बई)	4.983 एकड़	थाने स्पोर्टिंग क्लब कमेटी	2004	1.39
6.	नैनीताल	10290 वर्ग फुट	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	1989	0.66
	कुल				829.71

मामला 1

स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों के प्रशासन के अधीन कोलकाता मैदान में स्थित 153.416 एकड़ की रक्षा भूमि जनवरी 1932 से रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब (आर सी टी सी) को पट्टे पर दी गयी थी। इस पट्टे की अवधि को अंतिम बार दिसम्बर 2006 तक के लिए बढ़ाया गया था। 53 एकड़ भूमि के संबंध में वार्षिक किराया आर सी टी सी के सकल राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर पर तथा शेष 100.416 एकड़ भूमि के लिए प्रतिवर्ष ₹1000 प्रति एकड़ की दर पर इस शर्त पर नियत किया गया कि इस भूमि का अब से रक्षा प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाएगा।

दिसम्बर 2006 में पट्टे की समाप्ति पर, आर सी टी सी ने जनवरी 2007 से 30 वर्षों के लिए उसके नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया (फरवरी/ अप्रैल 2007) । तथापि, डी जी डी ई ने मार्च 2011 में आर सी टी सी को जनवरी 2007 से दिसम्बर 2021 तक 15 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए पट्टा देने पर विचार करने हेतु रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव दिया, क्योंकि आर सी टी सी वाणिज्यिक क्रियाकलापों में लगा हुआ था तथा मनोरंजन कर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष ₹8 करोड़ का भुगतान कर रहा था। फलतः डी जी डी ई ने वाणिज्यिक दरों यथा डी ई ओ द्वारा परिकलित ₹31.80 करोड़ प्रतिवर्ष पट्टा किराया और ₹636.00 करोड़ का एक बारगी प्रीमियम पर 53 एकड़ भूमि के लिए संस्तुति की। शेष 100.416 एकड़ भूमि के लिए, ₹2000 प्रतिवर्ष प्रति एकड़ की दर से पट्टा किराया संस्तुत किया। पट्टे की संस्वीकृति हेतु मामला रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित किया गया। पट्टे का नवीनीकरण तथापि लंबित था (जुलाई 2012) ।

इस प्रकार, पांच वर्ष और सात महीने से कोलकाता मैदान में रक्षा भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न करने के कारण अनधिकृत कब्जा बना हुआ है तथा आर सी टी सी से ₹814 करोड़ के राजस्व की वसूली नही हुई है।

मामला 2

अगस्त 1966 में, रक्षा मंत्रालय ने वेल्लस्ली रोड, पूणे में थोक पेट्रोलियम प्रतिष्ठापन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेश्न (आई ओ सी) को एक निर्धारित किराया/शुल्क पर भूमि के लाइसेंस हेतु संस्वीकृति प्रदान की। 07 सितंबर 1966 में आई ओ सी पूणे को एक एकड़ रक्षा भूमि और 36 वर्ग गज़ किराये की भूमि का हस्तांतरण किया गया।

शर्तों व निबंधनों तथा उस समय के किराये की राशि को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, क्योंकि आई ओ सी के पक्ष में भूमि पट्टे पर देने को 1996 में पूर्व-भूस्वामी ने न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे अक्तूबर 2006 में अंततः खारिज कर दिया गया। इसी बीच, यद्यपि भूमि आई ओ सी के कब्जे में बनी रही, फिर भी डी ई ओ ने उसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया।

1966 से भूमि पर कब्जे के बावजूद, डी ई ओ ने प्रथम 5 वर्षों के लिए तदर्थ आधार पर केवल ₹4.20 लाख की वसूली की थी। मई 2011 में, पी डी डी ई, दक्षिण कमान पूणे ने डी जी डी ई को सूचित किया कि सितंबर 1966 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए आई ओ सी द्वारा उपयोग की जा रही 1 एकड़ भूमि के संबंध में आई ओ सी से देय किराये और प्रीमियम की राशि ₹5.39 करोड़ थी।

इस प्रकार, किराये के निर्धारण सहित शर्तों व निबंधनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण आई ओ सी ने निर्धारित किराये का भुगतान किए बिना 1966 से रक्षा भूमि का अधिभोग किया था। आगे, अक्तूबर 2006 में न्यायालय द्वारा मामले को खारिज किए जाने के बाद भी डी ई ओ ने कोई पट्टा करार नहीं किया।

मामला 3

रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 1968 में ₹7072 के वार्षिक किराये एवं प्रीमियम, प्रत्येक पर मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) को 05 सितंबर 1973 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए धौला कुआँ, दिल्ली में 5525 वर्ग फुट भूमि पट्टे पर देने हेतु संस्वीकृति प्रदान की। यह पट्टा बाद में सितंबर 1977 तक बढ़ा दिया गया। अक्तूबर 1979 में रक्षा मंत्रालय ने किराये एवं प्रीमियम की दरों को बदले बिना 05 सितबंर 1977 से लेकर खाली करने की तिथि तक पट्टे का नवीनीकरण किया। साथ-साथ, रक्षा मंत्रालाय ने अक्तूबर 1979 में पेट्रोल पंप-सह-सर्विस स्टेशन के लिए ₹0.17 लाख के वार्षिक किराये और ₹0.84 लाख के प्रीमियम के भुगतान पर सितंबर 1977 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए एच पी सी एल को 17525 वर्ग फुट भूमि जिसमें समान भूमापन संख्या में से अतिरिक्त 12000 वर्ग फुट भूमि सम्मिलित है, पट्टे पर देने की संस्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय ने क्रमशः दिसंबर 1994 में ₹0.98 लाख के वार्षिक किराये तथा ₹4.91 लाख प्रीमियम तथा ₹3.85 लाख (किराया) एवं ₹19.24 लाख (प्रीमियम)के भुगतान पर पट्टे की अवधि पहले जनवरी 1990 तक और बाद में जनवरी 1995 तक बढ़ा दी।

किराये एवं प्रीमियम के संशोधन पर एच पी सी एल प्राधिकारियों ने बढ़ाए गए किराये को इस आधार पर रोककर रखने का अनुरोध किया (मार्च 2006) कि नयी दरें अत्यधिक है, जिससे उनकी लाभदायकता प्रभावित होती थी तथा एच पी सी एल ने जनवरी 1980 तक ₹0.17 लाख प्रतिवर्ष की पूर्व दरों पर भुगतान करना जारी रखा।

तथापि हमने देखा (नवंबर 2012) कि मार्च 2011 में, डी ई ओ दिल्ली छावनी ने एच पी सी एल को सूचित किया कि भूमि का पट्टा जनवरी 1995 में समाप्त हो गया था और तब से यह पेट्रोल पंप किसी पट्टे के अस्तित्व के बिना रक्षा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहा था। डी ई ओ द्वारा अनुमानित किया गया कि फरवरी 1985 से जनवरी 1995 तक किराया और प्रीमियम तथा फरवरी 1995 से ब्याज के साथ क्षति किराये के बकाये के रूप में ₹6.79 करोड़ की राशि एच पी सी एल के प्रति शेष थी।

मामला 4

मई 1966 में रक्षा मंत्रालय ने मैसर्स बरमा शैल (अब मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है) को पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए नौ वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली छावनी में 4561 वर्ग फुट रक्षा भूमि पट्टे पर देने हेतु संस्वीकृति प्रदान की।

जुलाई 1994 में, रक्षा मंत्रालय ने 14 नवंबर 1972 से 13 नवंबर 1992 तक 20 वर्ष की अवधि के लिए 4069 वर्ग फुट भूमि के पट्टे के नवीनीकरण के लिए कार्योत्तर संस्वीकृति प्रदान की। फर्म ने 13 नवंबर 1992 तक की सभी देय राशि का भुगतान किया था। तत्पश्चात् नवीनीकरण के लिए कोई भी संस्वीकृति जारी नहीं की गई और मार्च 1997 में बी पी सी एल ने अगले 20 वर्ष के लिए पट्टे के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। स्टेशन मुख्यालय दिल्ली छावनी ने जुलाई 2002 में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मामले की जाँच करने के पश्चात्

प्रशासनिक सुरक्षा एवं आग के खतरे के कारण 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) प्रदान नहीं किया। अगस्त 2002 में, छावनी बोर्ड ने उक्त पट्टे के समापन संबंधी प्रस्ताव पी डी डी ई चंडीगढ़ को भेजा।

यह भूमि, तथापि, बी पी सी एल के कब्जे में थी तथा पट्टे के समापन के लिए कोई संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी (जुलाई 2012)। 14 नवंबर 1992 से 13 नवंबर 2012 तक की अवधि के लिए ₹1.48 करोड़ के पट्टा किराया एवं प्रीमियम की भी वसूली नहीं हुई।

मामला - 5

डी ई ओ मुम्बई के प्रबंधन के अधीन थाने में अवस्थित द्विभागीय थाने कैंपिंग ग्राउंड के नाम से प्रचलित 24121 वर्ग गज़ (लगभग 4.983 एकड़) रक्षा भूमि थी। सिटी सर्वे (सी एस) न. 10-ए में 4 एकड़ की भूमि थाने स्पोर्टिंग क्लब कमेटी (क्लब) को 16 अक्तूबर 1960 से दस वर्ष के पट्टे पर दी गई थी। जुलाई 1996 में डी जी डी ई ने डी ई ओ, मुम्बई को सूचित किया कि क्लब के कब्जे में भूमि, रक्षा उपयोग हेतु अपेक्षित थी तथा रक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि क्लब से भूमि का कब्ज़ा ले लिया जाए। तथापि, डी जी डी ई ने अक्तूबर 1996 में विवादास्पद भूमि के नौसेना/वायुसेना अधिकारियों को आबंटन/हस्तांतरण के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णय लिए जाने तक यथा स्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिया। फरवरी 1998 में रक्षा मंत्रालय ने 24121 वर्ग गज़ भूमि में से 19380 वर्ग गज़ भूमि का हस्तांतरण नौसेना को तथा शेष 4741 वर्ग गज़ का वायुसेना को करने का निर्णय लिया।

रक्षा मंत्रालय ने क्लब को ₹1 के नाममात्र प्रीमियम और ₹12,000 के वार्षिक किराये पर 16 अक्तूबर 1989 से 15 अक्तूबर 1999 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए तथा ₹1 के प्रीमियम और ₹36,000 के वार्षिक किराये पर 15 अक्तूबर 2004 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए पट्टे के पूर्वव्यापी नवीनीकरण के लिए संस्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 2004)। तथापि, जून 2004 में क्लब ने किराया घटाने का अनुरोध किया, क्योंकि मैदान का उपयोग खेल-कूद के लिए किया जाता था न कि किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप के लिए। डी ई ओ ने जुलाई 2004 में पी डी डी ई को सूचित किया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा नियत की गयी दर उचित थी, क्योंकि 1989 के लिए प्रभार्य वार्षिक पट्टा किराया ₹2.62 लाख तथा 1999 के लिए ₹17.44 लाख होगा।

डी ई ओ ने जून 2009 में डी जी डी ई को सूचित किया कि क्लब ने 15 अक्तूबर 2004 तक ₹3.00 लाख पट्टा किराये के रूप में भुगतान किया और इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ₹36,000 की दर से 15 अक्तूबर 2006 तक दो वर्षों के लिए अंतरिम किराये के लिए ₹0.72 लाख जमा किया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा 15 अक्तूबर 2004 के आगे पट्टा अवधि बढ़ाने हेतु संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी और क्लब 15 अक्तूबर 2004 से किसी संस्वीकृति के बिना भूमि का अधिभोग करता रहा। 1999 की बाजार दर को मानते हुए डी ई ओ मुम्बई द्वारा परिकलित पट्टे के वार्षिक किराये के कारण प्राप्त होने वाला राजस्व 16 अक्तूबर 2004 से 15 अक्तूबर 2012 तक की अवधि के लिए ₹1.40 करोड़ (1744200x8) तथा क्लब द्वारा दिए गए ₹0.72 लाख को लेने के पश्चात् राजस्व का बकाया ₹1.39 करोड़ होगा।

मामला - 6

अप्रैल 1979 में रक्षा मंत्रालय ने रानीखेत में 10290 वर्ग फुट की रक्षा भूमि कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड (के एम वी एन एल) को पट्टे पर देने के लिए संस्वीकृति प्रदान की। रक्षा मंत्रालय ने अंतिम बार दिसंबर 1989 में ₹4015 के वार्षिक किराये और ₹20075 के

प्रीमियम के भुगतान पर 18 जुलाई 1984 से 17 जुलाई 1989 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया। तथापि, इस भूमि का प्रबंधन सितंबर 1988 में डी ई ओ बरेली से छावनी बोर्ड (सी बी) रानीखेत को हस्तांरित कर दिया। नवंबर 1991 में, सी बी रानीखेत ने के एम बी एन एल, नैनीताल से पट्टे का नवीनीकरण कराने के लिए कहा, क्योंकि वह 17 जुलाई 1989 में समाप्त हो चुका था।

हमने देखा (मई 2011) कि आगे के 13 वर्षों में अर्थात् 2002 तक सी बी रानीखेत द्वारा या तो पट्टे का नवीनीकरण करने या फिर भूमि का कब्ज़ा वापस लेने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नवंबर 2004 में के एम वी एन एल ने जुलाई 1989 से जुलाई 2009 तक 20 वर्षों के लिए पट्टे के नवीनीकरण हेतु सी बी रानीखेत से अनुरोध किया जो सितंबर 2012 तक प्रतीक्षित था। जुलाई 1989 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए ₹4.08 लाख जुर्माने के अलावा किराये की मानक सारणी (एस टी आर) के अनुसार किराये और प्रीमियम के प्रति वसूली योग्य कुल राशि ₹62.34 लाख[7] परिकलित की गई।

ख. दूसरे विभागों द्वारा रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्जा

हमने देखा (अक्तूबर 2009 एवं अप्रैल 2012) कि चेन्नै और पूणे में क्रमशः ₹9.29 करोड़ तथा ₹17.23 करोड़ मूल्य की 0.7829 एकड़ तथा 4.73 एकड़ रक्षा भूमि के दो प्लॉट सरकारी संस्वीकृति के बिना पच्चीस वर्ष तक (1988 से 2013 तक) रेलवे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) के अधीन थे। किराये की देय राशि ₹8.63 करोड़ थी।

मामला -1

दक्षिण रेलवे, मद्रास (अब चेन्नै) ने मई 1985 में त्रिशूलम में ट्रेन पड़ाव स्टेशन के निर्माण करने हेतु 0.52 एकड़ रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए डी ई ओ मद्रास को प्रस्ताव भेजा। जुलाई 1985 में तमिलनाडु एवं कर्नाटक उप-क्षेत्र मुख्यालय ने रेलवे को सूचित करते हुए क्षेत्र मुख्यालय को अनापत्ति बतलायी। मंत्रालय की किसी औपचारिक संस्वीकृति के बिना रेलवे प्राधिकारियों ने भूमि का अधिभोग किया तथा निर्माण कार्य पूरा कर लिया। इसके बाद, सितंबर 1987 में निरीक्षण के दौरान डी ई ओ ने देखा कि रेलवे प्राधिकारियों ने 0.52 एकड़ भूमि, जिसके लिए 'अनापत्ति' जारी की गई थी, के बजाय 0.7829 एकड़ रक्षा भूमि पर कब्जा कर लिया था। अतिरिक्त रक्षा भूमि के अतिक्रमण के बारे में सूचना प्राप्त होने के बावजूद रेलवे प्राधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने में डी ई ओ विफल रहे।

यह भूमि रेलवे के अधिभोग में बनी रही, फिर भी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए मामला आगे नहीं बढ़ाया गया। केवल अगस्त 1989 में तथा तत्पश्चात् नवंबर 1990 में ही डी जी डी ई ने सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु रेलवे द्वारा अनाधिकृत अधिभोग के लिए क्षतिमूल्य के साथ भूमि का बाजार मूल्य देने के लिए डी ई ओ से कहा। डी ई ओ ने रेलवे से वसूल किए जाने वाले भूमि का बाजार मूल्य और किराया/क्षतिमूल्य को दर्शाने वाला परिकलन पत्र प्रदान किया।

तथापि, 1991 से 2000 तक की अवधि के दौरान भूमि के हस्तांतरण के लिए सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने में कोई प्रगति नहीं थी। 10 वर्ष के अंतराल के बाद जून 2000 में तथा पुनः जून 2002 में डी डी ई ने आवश्यक संस्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने के

[7] अप्रैल 1979 तथा दिसंबर 1989 में जारी रक्षा मंत्रालय की पट्टे की संस्वीकृतियों के अनुसार किराया ₹10.39 लाख और प्रीमियम ₹51.95 लाख रूपए किराये के पांच गुना है।

लिए डी जी डी ई को अनुस्मारक भेजा। इसके बावजूद, कोई प्रगति नहीं हुई तथा सरकारी संस्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 2011)।

अक्तूबर 2009 में और पुनः अक्तूबर 2011 में हमने देखा कि रेलवे को रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए 1988 में प्रारंभ किए गए मामले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अप्रैल 2013 में, रक्षा मंत्रालय लेखापरीक्षा के इन निष्कर्षों से सहमत हुआ कि यद्यपि अनेक अवसरों पर यह मामला उठाया गया था, फिर भी सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने में कोई प्रगति नहीं थी। इसके लिए जो कारण हैं वे डी जी डी ई के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। रक्षा मंत्रालय ने फिर सूचित किया कि इस अवधि के दौरान 0.7829 एकड़ जमीन की कीमत ₹7.58 लाख से ₹9.29 करोड़ तक बढ़ गई थी तथा रेलवे से किराये के रूप में ₹4.11 करोड़ की राशि देय थी।

इस प्रकार, रेलवे को रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु मामले का भली-भांति प्रक्रम करने में रक्षा संपदा संगठन की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप पिछले 25 वर्षों से भूमि की कीमत तथा किराये के भुगतान के बिना रेलवे द्वारा 0.7829 एकड़ रक्षा भूमि का अनाधिकृत अधिभोग किया गया।

मामला - 2

नवंबर 1995 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा अधिकारियों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ए-1[8] भूमि के दुरूपयोग की ध्यानपूर्वक निगरानी करने तथा इस भूमि को बी-3[9] प्रवर्ग में पुनः वर्गीकृत करने और वाणिज्यिक किरायें एवं प्रीमियम पर उचित पट्टे का निष्पादन करने हेतु प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए निर्देश जारी किए।

भारतीय विमानपत्तन प्रधिकारण् को वाहनों के पार्किंग के लिए वायु सेना स्टेशन, पूणे में सर्वे नं. 225 से पाँच एकड़ भूमि अल्पावधि पट्टे पर पांच वर्ष की अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष के हिसाब से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का हस्तांतरण करने के लिए जून 2009 में प्रस्ताव किया गया।

डी ई ओ, पूणे ने अगस्त 2009 में भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत पर ₹91.05 लाख के वार्षिक किराये पर पांच वर्ष की अवधि के लिए इस भूमि को पट्टे पर देने हेतु सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए पी डी डी ई, दक्षिण कमान को यह प्रस्ताव अग्रेषित किया। तथापि, पूर्ण दस्तावेज न होनें के कारण पी डी डी ई मामले को क्रियान्वित नहीं कर सका जिसके कारण मार्च 2013 तक सरकार की संस्वीकृति नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा में (अप्रैल 2012) हमने देखा कि सरकारी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ए ए आई ने यह भूमि आगे एक निजी ठेकेदार मैसर्स गरूड़ एवियेशन सर्विसेस को पार्किंग के लिए पट्टे पर दी थी जो पार्किंग शुल्क वसूल कर रहा था। तथापि, ए ए आई से कोई भी किराया वसूल तथा सरकारी खाते में जमा नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर डी ई ओ पूणे ने मई 2012 में यह मामला वायुसेना स्टेशन, पूणे की टिप्पणियों/स्पष्टीकरण के लिए उनके साथ उठाया, जो मार्च 2013 तक

---

[8] ए1 भूमि ऐसी भूमि है, जो सशस्त्र सेनाओं के सक्रिय आधिभोग में है।

[9] बी 3 भूमि ऐसी भूमि है, जो पट्टे आदि के अधीन निजी व्यक्तियों द्वारा अतिधारित है, जिसके तहत केंद्रीय सरकार अपने ही ऊपर भूमि का स्वामित्त्व अधिकार सुरक्षित रखती है।

प्रतीक्षित था। तथापि, डी ई ओ पूणे ने अक्तूबर 2012 में स्वीकार किया कि ए ए आई द्वारा पार्किंग के लिए इस भूमि का अवैध अधिभोग किया गया था।

स्टेशन निर्माण कार्य अधिकारी, पूणे ने लेखापरीक्षा को दिए उत्तर में कहा कि मार्च 2013 तक रक्षा भूमि के पट्टे के कारण ए ए आई से कोई अदायगी प्राप्त नहीं हुई थी तथा रक्षा भूमि के अनियमित अधिभोग के संबंध में मामला ए ए आई के साथ उठाया गया था।

इस प्रकार, वायु सेना स्टेशन, पूणे ने ए ए आई को ₹17.23 करोड़ मूल्य की 4.73 एकड़ रक्षा भूमि सरकारी संस्वीकृति के बिना पार्किंग क्षेत्र के रूप में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रदान की। डी ई ओ पूणे भी जमीन का प्रबंधन लेने में विफल रहा तथा किसी राजस्व की वसूली किए बिना वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए पट्टा किराये की गैर-वसूली के कारण सरकार को ₹4.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

ग. रक्षा भूमि का दुरूपयोग

1995 में रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित भू-नीति के अनुसार, प्रीमियम और किराये के रूप में समेकित छावनी निधि में उपयुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऑल्ड ग्रान्ट साइट्स जो लाइसेंसों की प्रकृति के है उन्हें सरकारी संस्वीकृति से पट्टे में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जब तक कि इनके पुनर्ग्रहण की इच्छा प्रकट न की गई हो। कोई भी क्रियाकलाप जैसे प्रयोजन में परिवर्तन, निर्माण के माध्यम से या अन्यथा कोई प्रविभाजन, अतिरिक्त मंजिल/मंजिलों का निर्माण, विद्यमान पिलिंथ क्षेत्र या फर्श क्षेत्र का बढ़ाना, विद्यमान इमारत का विध्वंस या ओल्ड ग्रान्ट साइटों की खाली साइट में नयी इमारत बनवाना आदि तब तक संस्वीकृत नहीं किया जा सकता था, जब तक प्राप्तकर्ता पट्टा लेने का इच्छुक नहीं था। ऐसी स्थिति में, यह विचार करने के लिए प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किए जाने थे कि क्या पट्टा प्रदान किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो किन शर्तों पर या उस भूमि अथवा उसके किसी भाग का पुर्नग्रहण किया जाए, जब रक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

हमने ऐसे दो मामले देखे (अप्रैल 2012 तथा मई 2012) जहाँ ₹34.61 करोड़ मूल्य की 8.09 एकड़ बी-3 रक्षा भूमि, जो स्वतंत्रता पूर्व काल से वेल्लिंगटन क्लबों को पट्टे पर दी हुई थी, क्लबों के बंद किए जाने पर रक्षा संपदा अधिकारी (डी ई ओ) को नहीं लौटायी गयी। इसके बजाय, स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों (एल एम ए) ने एक मामले में आर्मी वाइव्स वेलफेयर ऐसोसिएशन (ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए) द्वारा बालिका छात्रावास के निर्माण करने की अनुमति दी तथा दूसरे मामले में बी-3 से ए-1 में भूमि के पुनवर्गीकरण के बिना एक शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया, यथा नीचे व्याख्या की गई है:-

मामला-1 पूणे में बालिका छात्रावास का निर्माण

डी ई ओ पूणे के प्रबंधन के अधीन जी एल आर सर्वे नं. 189 में 5.03 एकड़ बी-3 रक्षा भूमि ऑल्ड ग्रान्ट शर्तों के तहत 'लेडी वेल्लिंगटन सॉल्जियर्स क्लब' को पट्टे पर दी हुई थी तथा अधिभोग अधिकार के धारक क्लब के न्यासी अर्थात् पूणे उपक्षेत्र (पी एस ए) का कमांडर और पूणे के कलेक्टर थे। भूमि का स्वामित्त्व अधिकार भारत सरकार में निहित था। पट्टा करार के अनुसार, क्लब को बंद किए जाने पर भवन भारत सरकार को लौटाये जायेंगे।

उक्त भूमि पर बना बंगला राज्य पुलिस विभाग को पट्टे पर देने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा जनवरी 1951 में जारी कार्योत्तर संस्वीकृति पर मार्च 1948 से राज्य पुलिस विभाग के कब्जे में था।

पुलिस विभाग द्वारा बंगला खाली किए जाने के बाद एच क्यू पी एस ए ने इस भूमि के एक हिस्से का चेशेयर होम में परिवर्तन किया (नवंबर 1984) तथा जून 1986 में 10 वर्ष की अवधि के लिए एक पट्टा करार किया, जिसके लिए सरकार की अनुमति डी ई ओ, पूणे के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

अगस्त 1996 में, आर्मी वाईव्स वेल्फेयर ऐसोशिएशन (ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए)[10] के द्वारा एच क्यू पी एस ए के प्रबंधन के अधीन विद्यमान भवनों में बालिका छात्रावास बनवाया गया। जनवरी 2001 में, सेना मुख्यालय (ए एच क्यू) ने पूणे में ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए के तत्वावधान में बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। एच क्यू पी एस ए द्वारा रेजिमेंटल निधियों के ज़रिए से उक्त परिसर में ₹1.97 करोड़ की लागत पर दो नये भवनों का निर्माण किया गया, जिनमें भवनों के साथ साइबर केफे,सी एस डी कैंटीन, पुस्ताकालय व्यायाम घर तथा अंतरंग खेल के लिए सुविधाएं समाविष्ट थीं। हमने देखा (अप्रैल 2012) की ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए अधिकारियों के बच्चों से ₹2000 प्रतिमाह, कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा जवानों के बच्चों से क्रमशः ₹1500 प्रतिमाह और ₹1000 प्रतिमाह शुल्क ले रहा था। इसके अलावा, छात्रावास में रहनेवाली बालिकाओं से ₹4000 प्रतिभूति तथा ₹1000 प्रवेश शुल्क भी वसूल किये जा रहे थे।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल/मई 2012), स्टेशन मुख्यालय, किरकी ने अगस्त 2012 में कहा कि बालिका छात्रावास एच क्यू पी एस ए की रेंजिमेंटल संपत्ति है। स्टेशन मुख्यालय ने यह भी कहा कि रक्षा भूमि पर रेजिमेंटल संपत्ति के निर्माण के लिए डी ई ओ द्वारा कोई अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था और बालिका छात्रावास पूर्ण रूप से कल्याणोन्मुख था तथा वह किसी भी तरह से लाभ कमाने वाली वाणिज्यिक संस्था नहीं था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच क्यू पी एस ए ने रेजिमेंटल संपत्ति के रूप में रक्षा भूमि का अधिभोग किया और सरकारी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना रक्षा भूमि पर बालिका छात्रावास के रूप में उपयोग करने हेतु भवनों का निर्माण करने के लिए ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए को अनुमति प्रदान की। एच क्यू पी एस ए ने रक्षा मंत्रालय के अनुदेशों के घोर उल्लंघन कर ₹20.36 करोड़ रूपए की उत्कृष्ट रक्षा भूमि भी एक गैर-सरकारी संगठन ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए को दी गई।

मामला -2 शॉपिंग कॉम्पलेक्स का संचालन

डी ई ओ के प्रबंधन के अधीन पूणे छावनी में सर्वे नं. 329 में 3.06 एकड़ बी-3 रक्षा भूमि पर स्थित का बंगला नं. 34 कहुन रोड, जो 'वेल्लिंगटन क्लब' के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुख्य भवन, रसोई घर एवं नौकरों के अवास हैं, 1929 से स्थायित्त्व शर्तों पर वेल्लिंगटन सोल्जियर्स क्लब को पट्टे पर दिया गया था। पट्टा विलेख की शर्त (1)(बी) में उल्लेखित है कि पट्टादाता अर्थात् भारत सरकार की सहमति के बिना भूमि तथा उसपर बनवाये गये भवनों का उपयोग क्लब के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाना था। आगे, पट्टे की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में भूमि तथा भवन सरकार को प्रत्यावर्तन हो जायेंगें।

क्लब को बंद किए जाने के बाद, इन भवनों को पट्टा विलेख की शर्तों एवं इस विषय पर सरकार के आदेशों के स्पष्ट उल्लघंन कर एच क्यू पी एस ए की अनुमति से शॉपिंग कॉम्पलेक्स अर्थात् सी एस डी कैंटीन, ए टी एम काउंटर, टक शॉप (फूड शॉप), वस्त्रालय, आइस क्रीम पार्लर इलैक्ट्रॉनिक शॉप आदि में परिवर्तित किया गया। हमने देखा कि डी ई ओ

[10] ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए अगस्त 1996 में सोसाइटी पंजीयक के साथ एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है।

ने अप्रैल 2009 में एच क्यू पी सी ए से प्राधिकार तथा शर्तें व निबंधन मांगें, जिनके तहत बी-3 भूमि पर ए टी एम काउंटर एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं की अनुमति दी गयी थी। डी ई ओ ने इन वाणिज्यिक स्थापनाओं से वसूल की गयी आय तथा सरकारी खाते में उसके प्रेषण का विवरण भी मांगा।

तथापि, एच क्यू पी एस ए ने कोई उत्तर नहीं दिया। डी ई ओ द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

इन स्थापनाओं से प्राप्त किराये के संबंध में नवंबर 2011 और जनवरी 2012 में हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर एच क्यू पी एस ए ने फरवरी 2012 में कहा कि बंगला नं. 34 के संबंध में बी-3 से ए-1 में भूमि के परिवर्तन के लिए दिसंबर में अधिकारी मंडल की बैठक बुलायी गयी और वेल्लिंगटन क्लब के साथ निष्पादित पट्टे के निरसन हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक मामला उठाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि ये भवन एम ई एस के अधिकार में नहीं है और किराया एवं संबद्ध प्रभारों की वसूली नहीं की जा रही थी जो दर्शाता है कि एच क्यू पी एस ए ने रेजिमेंटल स्रोतों के माध्यम से इन भवनों का निर्माण किया था।

इस प्रकार, एच.क्यू.पी.एस.ए. ने वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए ₹16.38 करोड़ मूल्य की 3.06 एकड़ बी-3 रक्षा भूमि का दुरूपयोग किया तथा यह रेजिमेंटल संपत्ति होने का दावा करते हुए लोक निधि में कोई राजस्व जमा नहीं किया। हमने यह भी देखा कि ए-1 में भूमि का पुनवर्गीकरण करने हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाते समय, उन्होंने बी-3 भूमि पर वाणिज्यिक स्थापनाओं के संचालन के संबंध में वस्तुस्थिति छिपायी थी।

इस प्रकार, पूणे के स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय के आदेशों की घोर अवहेलना कर ₹36.74 करोड़ मूल्य की 8.09 एकड़ रक्षा भूमि का दुरूपयोग किया।

घ. राज्य सरकार से हस्तांतरित 103.026 एकड़ भूमि की कमी

पूर्वी क्षेत्र में अनुमोदित बल प्रवर्धन तथा नये बलों के गठन की दृष्टि में, एच क्यू-2 पहाड़ी डिवीज़न ने अरूणाचल प्रदेश के खोनसा तिरप जिले में उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण को संस्तुत करने हेतु नवंबर 2009 में अधिकारी बोर्ड (बोर्ड) की बैठक बुलायी। छावनी नियम खंड-II के अध्याय 29 के अनुलग्नक 'बी' एवं 'डी' में निर्धारित अचल संपत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार डी ई ओ को उपयोगकर्ताओं से चयनित भूमि का स्थल नक्शा प्राप्त करने तथा अधिग्रहण के लिए चयनित भूमि का खसरा संख्याओं के विवरण के साथ प्रत्येक खसरा संख्या के अपने-अपने क्षेत्र को दर्शातें हुए उसे बोर्ड को प्रदान कने की आवश्यकता है। डी ई ओ के लिए यह भी आवश्यक है कि वह सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव करने से पूर्व भूमि की शुद्धता तथा यथार्थता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय राजस्व कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से भूमि का निरीक्षण करें।

जनवरी 2010 में बोर्ड ने खोनसा में एक पैदल सेना ब्रिगेड स्थापित करने के लिए 230.93 एकड़ खाली सरकारी भूमि अर्जित करने हेतु सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए संस्तुति की। तदनुसार, मार्च 2010 में रक्षा मंत्रालय ने ₹93.46 लाख की अनुमानित लागत पर राज्य सरकार की 230.93 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु संस्वीकृति प्रदान की।

भूमि का कोई प्रत्यक्ष सर्वेक्षण/नक्शा/सीमांकन के बिना जून 2010 में राज्य सरकार, डी ई ओ और सेना के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्तांतरण/ग्रहण प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

मई 2010 में डी ई ओ जोरहाट ने सारी 230.93 एकड़ भूमि के लिए ₹93.46 लाख के पूरा भुगतान किया। भूमि ग्रहण करने के पश्चात् सेना अधिकारियों ने इस भूमि पर अच्छा-खासा मौलिक अधारभूत ढाँचे का सृजन किया। तथापि, कभी कोई कमी नहीं बतायी गयी।

डी ई ओ, जोरहाट और उपायुक्त, तिरप द्वारा अप्रैल 2011 मे भूमि के संयुक्त मापन के दौरान यह पाया गया कि सेना को हस्तांतरित भूमि 230.93 एकड़, जिसके लिए पूर्ण भुगतान किया गया था, के स्थान पर केवल 127.904 एकड़ ही थी। लंबे समय तक के पत्राचार के बाद राज्य सरकार भवनों एवं फसलों के ह्रसित मूल्य ₹13.08 लाख का भुगतान करके रक्षा मंत्रालय को 99 वर्ष के पट्टे पर 21.87 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गयी। तथापि, फरवरी 2012 में संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 21.87 एकड़ के स्थान पर केवल 13.065 एकड़ भूमि उपलब्ध थी। मई 2012 में डी ई ओ ने 99 वर्ष के पट्टे की बजाय स्थायी आधार पर किसी अतिरिक्त भुगतान के बिना शेष 103.026 एकड़ भूमि का हस्तांतरण करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जो अभी प्रतीक्षित था। सेना को पहले हस्तांतरित भूमि से सटी हुई राज्य सरकार की कोई अन्य भूमि स्टेशन में उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में भूमि की वास्तविक उपलब्धता की जांच करने हेतु संयुक्त मापन/सीमांकन के बिना भूमि के हस्तांतरण को संस्वीकृति दी गयी थी, यथा डी ई ओ द्वारा जून 2012 में लेखा परीक्षा को पुष्ट किया गया था। हस्तांतरण के लिए संस्वीकृत 230.93 एकड़ भूमि में से मात्र 127.904 एकड़ भूमि राज्य सरकार के पास उपलब्ध थी। तथापि, भूमि का उचित सीमांकन किए बिना सारी भूमि के लिए ₹93.46 लाख का पूरा भुगतान राज्य सरकार को किया गया था। भूमि के अधिग्रहण के मूल्यांकन एवं संस्तुति करने तथा भूमि के हस्तांतरण ग्रहण करने के लिए आयोजित बोर्ड की बैठक संस्तुति करने और भूमि ग्रहण करने से पूर्व उपलब्ध भूमि की मात्रा की जांच करने में विफल हुई। डी ई ओ की इस गंभीर भूल के परिणामस्वरूप अहस्तांतरित 103.026 एकड़ भूमि के लिए ₹41.69 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

निष्कर्ष

यद्यपि लोक लेखा समीति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.4 के पैरा 2.1 की जांच करते समय गंभीर भूल एवं अनियमितताएं बतायी गयी थीं फिर भी उन्हें ठीक करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। हमने देखा कि प्रतिवेदन में उल्लेखित वही अनियमितताएं जारी रही। पट्टों की समाप्ति के बाद भी पूर्व-पट्टेदार महत्त्वपूर्ण रक्षा भूमि का अनाधिकृत अधिभोग करते रहे। डी ई ओ मार्च 1995 के मार्गनिर्देशों की अवहेलना करते हुए पट्टों के नवीनीकरण या समाप्ति हेतु अग्रिम कार्रवाई करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान प्रकट हुए आठ मामलों के संबंध में चार से 46 वर्ष तक की अवधि के लिए लगभग ₹838.34 करोड़ का किराया बकाया हो गया।

इसके अतिरिक्त, दूसरे विभागों द्वारा अतिक्रमण तथा स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा रक्षा भूमि का दुरूपयोग अनाधिकृत प्रयोजनों, जैसे गैर-लोक निधि से निर्मित छात्रावासों, शॉपिंग काम्पलेक्सों आदि का संचालन के मामले बिना रूकावट के चलता रहा।

2.2 रेलवे से सेवा प्रभारों की वसूली न करना

छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन में रेलवे से ₹10.74 करोड़ का सेवा प्रभार वसूल करने में आगरा, अंबाला, नसीराबाद एवं दिल्ली के छावनी बोर्ड विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को राजस्व की आवर्ती हानि हुई।

सेवा प्रभारों की वसूली करने में छावनी बोर्डो की विफलता के कारण रेलवे से ₹10.74 करोड की वसूली नहीं हुई।

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 109 में प्रावधान है कि केंद्र या राज्य सरकार यथास्थिति किसी छावनी में स्थित सरकारी संपत्तियों के विषय में नगर सेवांए अथवा विकास कार्य प्रदान करने के लिए छावनी बोर्ड को वार्षिक रूप से निर्धारित दरों में सेवा प्रभारों का भुगतान करेगी।

रेलवे के पास आगरा, अंबाला,नसीराबाद और दिल्ली छावनियों की रक्षा भूमि में कुछ संपत्तियां है ये संपत्तियां छावनियों में क्रमशः 22.96 एकड, 167.71 एकड 32.71 एकड और 1.33 एकड़ में स्थित है। संबंधित छावनी बोर्डो ने रेलवे संपत्तियों को नियमित रूप से नगरपालिका सेवाएं प्रदान की है।

लेखापरीक्षा में हमने देखा(सितंबर 2012 और अगस्त 2013) कि छावनी बोर्ड इन संपत्तियों के विषय में रेलवे से सेवा प्रभारों का दावा नहीं कर रहे थे, हालाकिं छावनी अधिनियम 2006 मे इसके लिए प्रावधान था। छः वर्षो से अधिक की अवधि में (2007-08 से 2012-13 तक)इस संबंध मे रेलवे के प्रति ₹10.74 करोड़ संचित हो गए थे। अंबाला छावनी में बकाया राशि ₹4.83 करोड थी, जबकि आगरा,नसीराबाद और दिल्ली छावनियों में भी वसूली हेतु देय राशि क्रमशः ₹ 2.89 करोड़ , ₹2.88 करोड़ और ₹0.14 करोड़ थी। छावनी बोर्ड, आगरा ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षो को स्वीकार किया (जनवरी 2013) और कहा कि रेलवे से सेवा प्रभारों के दावे का मामला प्रगति पर है। अंबाला, नसीराबाद और दिल्ली छावनियों में भी सेवा प्रभारों की वसूली हेतु कार्यवाईयां शुरू कर दी गई है (अगस्त 2013)।

मामला अप्रैल 2013 में मंत्रालस को भेजा गया था, उनका उत्तर नवम्बर 2013 में प्राप्त हुआ था। मंत्रालय लेखापरीक्ष के निष्कर्ष से सहमत था तथा कहा कि महानिदेशक रक्षा संपदा ने सभी छावनी बोर्डो को सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा रेलवे से सेवा प्रभारो की वसूली करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश जारी कर दिये है।

अतैव, यह मामला प्रकट करता है कि छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन में आगरा, अंबाला, नसीराबाद और दिल्ली के छावनी बोर्ड रेलवे से सेवा प्रभारों का दावा करने में विफल रहें, जिसके प्ररिणामस्वरूप ₹10.74 करोड की वसूली नहीं की गई।

2.3 टैंक में वातानुकूलकों (ए सी) को समाविष्ट न करना ।

टैंक में वातानुकूलकों के समावेश के लिए परीक्षण दल की संस्तुतियों के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने उनके समावेश के बिना ₹9083.36 करोड़ मूल्य के टैंक 'एक्स' की अधिप्राप्ति हेतु संविदाएँ की। इन टैंको के सम्मिलन के तुरंत बाद रक्षा मंत्रालय ने अंततः वातानुकूलकों की आवश्यकता स्वीकार की। यद्यपि 2002 में वातानुकूलकों को अलग से अधिप्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी, फिर भी उसे अभी तक कार्यान्वित नही किया गया है

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया यह अनुबंधित करती है कि यदि एक बार सेवा मुख्यालय द्वारा सामान्य सेवाएँ गुणात्मक आवश्यकता (जी एस क्यू आर) को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि

किसी मद का आयात किया जाना है, तो शस्त्र प्रणाली / भण्डारों की अधिप्राप्ति के स्रोत सेवा मुख्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएगें तथा प्रत्याशित निर्माता/ आपूर्तिकर्ता की शार्टलिस्ट तैयार की जाएगी। इस प्रकार पहचाने गए स्रोतों की सूची, तत्पश्चात् शस्त्र प्रणाली/ उपस्कर के परीक्षणों एवं मूल्यांकन के अंतिम निर्णय लेने हेतु रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद विनिर्दिष्ट प्राचलों के आधार पर सभी प्रकार के वातावरण/ भूभाग में प्रयोक्ता द्वारा परीक्षण किए जाएगें तथा संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा एक विस्तृत परीक्षण/ मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सेवा मुख्यालय से परीक्षण/ मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रक्षा मंत्रालय उस रिपोर्ट में समाविष्ट संस्तुतियों पर विचार करेगा। यदि वे स्वीकार्य पाई जाती है, तो रक्षा मंत्रालय अधिप्राप्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेगा, जिसके अंत में उपस्कर की आपूर्ति हेतु चयनित निर्माता के साथ संविदा की जाएगी।

टैंक 'एक्स' मिसाइल फायरिंग क्षमता, सक्रिय रक्षा प्रणाली, रात्रि दृष्टि के लिए थर्मल इमेजिंग (टी आई) और अग्नि नियंत्रण प्रणाली (एफ सी एस) के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों से युक्त नवीनतम उपस्कर है। इसमें अनेक नई विशिष्टताओं एवं अद्युनातन प्रौद्योगिकी का समावेश है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा उपस्कर 'एक्स' की अधिप्राप्ति हेतु अपेक्षित उचित कार्यविधियों को पूरा करने के पश्चात् सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस) ने 310 टैंक 'एक्स' का आयात करने के लिए सिद्वांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया (नवम्बर 1998) । टैंक के देशीकरण का कार्य क्रमिक रूप से पूरा करने के लिए भी सी सी एस ने अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, टैंक 'एक्स' के परीक्षणों के लिए विस्तृत प्रतिबंधों को निर्धारित करते हुए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (अप्रैल 1999) , जिसके सफल समापन पर एक संविदा की जाती।

परीक्षण दल में विभिन्न कमान/ सेना कोर से प्रयोक्ताओं, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय, विद्युत एवं यांत्रिक अभियांत्रिकी, शस्त्र एवं उपस्कर निदेशालय, महानिदेशक यंत्रसज्जित सेनाएँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा उत्पादन अभिकरणों (आयुध निर्माणियॉ, भारत डायनमिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) के प्रतिनिधि थे। टैंक 'वाई' तथा टैंक 'जेड' की सामान्य सेवाएँ गुणात्मक आवश्यकता के विस्तृत प्राचलों के आधार पर सेना ने सर्वांगीण परीक्षण निदेश टैंक 'एक्स' के लिए बनाए। परीक्षण दल ने मई से जुलाई 1999 के दौरान टैंको का फील्ड मूल्यांकन (परीक्षण) पूरा किया और भारतीय सेना में इसका समावेशन करने के लिए संस्तुति की, क्योंकि टैंक 'एक्स' ने वर्तमान एवं भावी सभी संक्रियात्मक आवश्यकताएँ पूरी की।

परीक्षण दल ने अपनी संस्तुतियों में (जुलाई 1999) टैंक में वातानुकूलकों (ए सी) का समावेश करने की आवश्यकता जताई और यह भी कहा कि टैंक 'एक्स' को निर्माता द्वारा उनकी टैंक फैक्ट्री में सभी प्रणालियों के एकीकरण के बाद अधिप्राप्त किया जाना चाहिए। तथापि, जनवरी 2000 में सेना मुख्यालय द्वारा किए जनरल स्टाफ मूल्यांकन के दौरान परीक्षण दल की संस्तुति को नहीं माना गया/ जहाँ यह महसूस किया गया कि वातानुकूलकों की उपयोगिता सीमित होगी, क्योंकि भारतीय परिवेश में कमांडर टैंक के खुले प्रवेश द्वार के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त, वातानूकूलकों के अत्यधिक ऊँचे मूल्य को भी उसे संस्तुत न करने के कारणों में से एक कारण के रूप में माना गया। यद्यपि मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) द्वारा प्रस्तावित मूल टैंक में वातानुकूलक सज्जित किए गए थे, फिर भी सेना मुख्यालय द्वारा जनरल स्टाफ मूल्यांकन के दौरान यह इस आधार पर नही माना गया कि अन्य उपस्करों में

यानी विद्यमान टैंक 'जेड' में वातानुकूलक सज्जित नही किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यकता हुई, तो, इसे बाद में देशी स्रोतों से अधिप्राप्त किया जा सकता था।

तदनुसार, फरवरी 2001 में रक्षा मंत्रालय ने ₹4086.90 करोड़ की कुल लागत पर 310 टैंक 'एक्स' का आयात करने हेतु मूल उपस्कर निर्माता के साथ संविदा की। यह अधिप्राप्ति वातानुकूलकों के प्रावधान के बिना की गई।

1000 अतिरिक्त टैंकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ₹330.39 करोड के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) शुल्क के भुगतान पर हेवी वेहिकल फैक्टरी (एच वी एफ) आवड़ी में 1000 टैंकों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टी ओ टी) के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2001 में मूल उपस्कर निर्माता के साथ एक दूसरी संविदा की गई। इन टैंकों का निर्माण भी वातानुकूलकों के बिना किए जाने का निर्णय लिया गया।

तथापि, सेवा में टैंकों के समावेशन के तुरन्त बाद सेना मुख्यालय द्वारा यह देखा गया (सितम्बर 2002) कि टैकों में सज्जित विभिन्न परिष्कृत और अधुनातन प्रणालियों, अर्थात् एफ सी एस, टी आई दृष्टि एवं मिसाइल फायरिंग यंत्रावलियों, का निष्पादन ताप और धूल भरी स्थितियों के लंबे प्रभाव के कारण घट गया। इसलिए टैंकों में सभी प्रणालियों का सर्वोत्तम निष्पादन स्तर प्राप्त करने हेतु मूल उपस्कर निर्माता से टैंक 'एक्स' के लिए वातानुकूलकों की अधिप्राप्ति करना रक्षा मंत्रालय द्वारा अनिवार्य समझा गया (सितम्बर 2002) ।

इसके बाद, टैंकों की कार्य-कुशलता हेतु डी जी एम एफ ने 310 टैंक 'एक्स' के लिए मूल उपस्कर निर्माता से वानुकूलकों की अधिप्राप्ति तथा शेष 1000 उपस्करों के लिए टी ओ टी हेतु एक मामला (सितम्बर 2002) प्रारम्भ किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2004 में इन वातानुकूलकों की आवश्यकता की स्वीकृति (ए ओ एन) प्रदान की गई। ए ओ एन से पूर्व 2004 में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग (डी डी पी एस) ने संस्तुत किया कि वातानुकूलकों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) जारी करने की बजाय इष्टतम फलप्राप्ति के लिए अविलंब ही मूल उपस्कर निर्माता और हेवी वेहिकल फैक्टरी को सम्मलित करके सह-उत्पादन का मार्ग अपनाया जाए। अतः यह मामला हेवी वेहिकल फैक्टरी, आवड़ी के साथ वातानुकूलकों के सह-उत्पादन[11] के लिए मूल उपस्कर निर्माता के साथ उठाया गया। अगस्त 2006 में वातानुकूलकों के सह-उत्पादन के लिए परीक्षण किए गए, किंतु वे विफल हो गए। अतः यह मामला मार्च 2008 में बंद कर दिया गया।

347 टैंक 'एक्स' की ताजा कमी के प्रति जनवरी 2007 में रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके आयात की आवश्यकता स्वीकार की गई और एक पुनरादेश (नवम्बर 2007) के माध्यम से टैंकों की अधिप्राप्ति की गई। इस आदेश के अंतर्गत अधिप्राप्त किए गए उपस्करों में भी वातानुकूलक नही थे, क्योंकि उनकी आवश्यकता को 1310 वातानुकूलकों (310+1000) की विद्यमान आवश्यकता के साथ मिलाकर उन्हें अलग से अधिप्राप्त करने का निर्णय लिया गया था।

इसके बाद, जून 2009 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डी ए सी) द्वारा बाय (इंडियन) वर्ग के अंतर्गत ₹597 करोड़ की लगभग कुल लागत पर 1657 (310+1000+347) वातानुकूलकों की अधिप्राप्ति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इन 1657 वातानुकूलकों में से, 11-वीं

[11] सह-उत्पादन में, सम्मिलित पार्टियों के बीच अपनी-अपनी अवसंरचना पर आधारित मूल्य-वर्धन को बॉटना शामिल है।

पंचवर्षीय योजना (2007-12) में 957 वातानुकूलकों को अधिप्राप्त करने हेतु रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया। इसके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2010 में प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया गया। तथापि, शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेताओं द्वारा प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्राचलों का अनुपालन न किए जाने के कारण इसे परीक्षण चरण में (जनवरी 2012) वापस ले लिया गया। अक्तूबर 2013 तक सभी 1657 टैंकों के लिए वातानुकूलकों की अधिप्राप्ति हेतु आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी तथा वार्षिक अधिग्रहण योजना 2012-14 के अंतर्गत अधिप्राप्तियों को पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच (जून 2013) से पता चला कि रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण दल की संस्तुतियों की अवहेलना करते हुए वातानुकूलकों के बिना टैंक 'एक्स' की अधिप्राप्ति की। रक्षा मंत्रालय ने इस तथ्य की भी अवहेलना की कि टैंक 'जेड' की अग्नि नियंत्रण प्रणाली टैंक 'एक्स' की तरह परिष्कृत नहीं थी तथा अग्नि नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रदत्त अंतर्निहित अधुनातन क्षमताएँ ताप संवेदनशील हैं और दीर्घकालीन ताप एवं धूल भरी स्थितियों में क्षमताएँ घट जाती हैं।

यह ड्राफ्ट पैराग्राफ जून 2013 में मंत्रालय को जारी किया गया, उनका उत्तर प्राप्त हो गया है (अक्तूबर 2013) । रक्षा मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि जनरल स्टाफ मूल्यांकन में वातानुकूलकों के बिना टैंकों का आयात करने के लिए संस्तुति दी गई थी, क्योंकि कमांडर टैंक के खुले प्रवेश द्वार के साथ सैनिक कार्रवाई करते हैं, जिससे वातानुकूलकों की प्रभावकारिता सीमित हो जाती है। वातानुकूलकों से सज्जित टैंकों का आयात न करने का निर्णय, तीन टैंकों के परीक्षणों पर आधारित था, जिनमें ताप और धूल के लंबे प्रभाव के हानिकारक प्रभाव दृष्टिगोचर नही हुए थे। ताप और धूल के लंबे प्रभावन के कारण टैंक में सज्जित परिष्कृत और अधुनातन प्रणालियों के अवक्रमण का पहलू सेवा में उसके समावेशन के उपरांत टैंकों का उपयोग करने पर सामने आया।

मंत्रालय का उत्तर तथापि वस्तुतः सही नहीं है, क्योंकि संविदा को अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण दल ने परीक्षण प्रश्नावली में फील्ड परीक्षणों के दौरान देखे गए संघटकों के अधिक तापन के उदाहरणों पर विशेष बल दिया था और इसलिए उस टैंक के विन्यास में वातानुकूलकों का संयोजन करने के लिए संस्तुति दी। रक्षा मंत्रालय ने भी बाद में वातानुकूलकों से सज्जित टैंकों की आवश्यकता को स्वीकार किया था (सितम्बर 2002) । इसके बाद की गई संविदा (नवम्बर 2007) में भी टैंकों में सज्जित वातानुकूलकों को सम्मिलित नही किया।

इस प्रकार, अधिप्राप्त किए जा रहे टैंक 'एक्स' में वातानुकूलकों के समावेश हेतु फील्ड परीक्षणों में संस्तुत किए जाने के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने ₹9083.36 करोड़ की कुल लागत पर 657 टैंको की अधिप्राप्ति की और वातानुकूलकों के प्रावधान के बिना ₹330.39 करोड़ की टी ओ टी शुल्क पर अन्य 1000 टैंकों के लिए संविदा की।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि रक्षा मंत्रालय ने 2002 में टैंकों में सज्जित किए जाने के लिए वातानुकूलकों की अधिप्राप्ति की आवश्यकता स्वीकार कर ली थी, फिर भी अनुवर्ती संविदा (2007) में भी इस प्रावधान को सम्मलित नहीं किया गया और न ही जून 2009 में रक्षा अधिग्रहण परिषद के अनुमोदन के बावजूद उसकी अधिप्राप्ति (अक्तूबर 2013) की गई, जिससे टैंक 'एक्स' का बेड़ा संवेदनशील संघटकों के अवक्रमण के कारण सुभेद्य बन गया।

2.4 कार्य अनुरूप प्रगति के बिना असमकालिक भुगतान

कार्य अनुरूप प्रगति के साथ संबद्ध किए बिना विवेकपूर्वक भुगतान करने में मॉनीटरिग सेल की विफलता के कारण मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को ब्याज रहित अग्रिम के रूप में ₹110 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप पोन्टोन मिड स्ट्रीम पुल की आपूर्ति हेतु 2001 मे दिया गया आदेश लगभग नौ वर्ष पूर्व ₹313.72 करोड़ के अग्रिम भुगतान के बावजूद फलित नहीं हुआ

रक्षा मंत्रालय ने 2008-09 तक ₹399 करोड़ मूल्य के छः सेट पोन्टोन मिड स्ट्रीम (पी एम एस) पुल की आपूर्ति हेतु 2000 और 2004 के बीच मेमर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल) को ₹313.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया। इसमें से ₹110 करोड़ का भुगतान कार्य अनुरूप प्रगति के साथ भुगतानों को संबद्ध किए बिना मार्च 2003 और दिंसबर 2004 के बीच में किया गया। सेना को अब तक (नवंबर 2013) पी एम एस पुलो के केवल दो पूर्ण सेट की प्राप्ति हुई है।

रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2000 मे बी ई एम एल से छः सेट पी एम एस पुल खरीदने का निर्णय लिया और उत्पादन के लिए क्रियाकलाप प्रारंभ करने हेतु ₹87.72 करोड़ के अग्रिम भुगतान की संस्वीकृति प्रदान की । तदनुसार सेना मुख्यालय ने मार्च 2001 में 399 करोड रूपए की कुल लागत मे बी ई एम एल को आपूर्ति आदेश दिया। इन पुलो की सुपुर्दगी 2004 और 2009 के बीच मे की जानी थी। आपूर्ति आदेश में प्रदत्त कार्यक्रम के अनुसार बी ई एमएल को जुलाई 2006 तक कुल संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत अथवा समतुल्य तक ब्याज रहित अग्रिम का भुगतान किया जाना था। आपूर्ति आदेश की शर्तो मे निर्माण एवं आपूर्ति की प्रगति को छमाही आधार पर मॉनीटर करने के लिए सेना एवं बी ई एम एल के सदस्यों से युक्त एक मॉनीटरिंग सेल का गठन भी अनुबंधित था। मॉनीटरिग सेल कार्य की प्रगति के आधार पर फर्म को ब्याज रहित अग्रिमों के भुगतान हेतु संस्तुति देने के लिए भी उत्तरदायी था। सेना से थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) से पूर्व बी ई एम एल को मार्च 2003 तक प्रयोक्ता संपोषक परीक्षणों के लिए पी एम एस के कुछ उपस्कर देने थे। परीक्षणों की अवधि 30 कार्य दिवस थी। बी ई एम एल ने , तद्यापि दिसम्बर 2003 मे पी एम एस पुल परीक्षणों के लिए दिए। परीक्षणों के दौरान प्रकट हुए अनेक दोषों और इन दोषों को दूर करने के लिए बी ई एम एल द्वारा लिए गए अत्यधिक समय के कारण संपोषक परीक्षण केवल मई 2008 में अर्थात चार वर्ष और पांच माह बाद पूरे हुए। इसी बीच अक्तूबर 2007 में कुछ संसोधन का सुझाव देते हुए सशर्त थोक उत्पादन अनुमति प्रदान की गइ जिसमें सुपुर्दगी समय को प्रथम सेट के लिए अक्तूबर 2008 तथा शेष पांच सेटो के लिए अक्तूबर 2011 संशोधित किया गया। चूँकि फर्म सुपुर्दगी के लिए बढायी गई समय सीमा का पालन नहीं कर सका इसलिए सुपुर्दगी के लिए सितंबर 2013 तक समय बढा दिया गया।

हमने देखा (फरवरी 2013) कि बी ई एम एल द्वारा पुलो के निर्माण एवं आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के होते हुए भी रक्षा मंत्रालय ने इस फर्म को दिसम्बर 2004 तक ₹313.72 करोड़ के बराबर 79 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया था। उपर्युक्त भुगतान मे से मार्च 2003 तक अर्थात परीक्षण हेतु पुल देने की नियत तिथि तक ₹203.73 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। समय पर पुल प्रदान करने तथा उनके लिए थोक उत्पादन अनुमति प्राप्त करने में बी ई एम एल की विफलता के बावजूद मॉनीटरिग सेल की संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 2003 और दिसम्बर 2004 के बीच ₹110 करोड़ का शेष भुगतान किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा जारी (फरवरी 2013) टिप्पणी के उत्तर मे सेना मुख्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि कार्य की प्रगति के संबंध मे मॉनीटरिंग सेल की पूर्ण संतुष्टि के बाद ही भुगतान किया गया था।

यह उत्तर तथापि स्वीकार्य नहीं था, क्योकि हमने देखा कि दिसंबर 2002 में अर्थात परीक्षणों के लिए पुल प्रदान करने हेतु नियत तिथि से पूर्व, हुई बैठक में मॉनीटरिंग सेल ने कार्य की प्रगति से संबंधित मुद्दो पर स्पष्टतया विचार-विमर्श किया तथा पहले से प्रदत्त निधियों के उपयोग के संबध मे स्पष्ट रूप से जांच की। मार्च 2003 के बाद हुई अनुवर्ती बैठकों में थोक उत्पादन अनुमति के अभाव में जब कार्य की वास्तविक प्रगति अवरूद्ध हो गई तब मॉनीटरिंग सेल ने बी ई एम एल को दिए अग्रिमों के प्रति किए गए व्यय की समीक्षा अथवा विशेष रूप से कार्य की प्रगति को निर्धारित किए बिना भुगतान करने के लिए संस्तुति दी।

इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2004 तक ₹313.72 करोड़ (कुल संविदा मूल्य का 79 प्रतिशत) का कुल भुगतान किया गया, जिसमें से ₹110 करोड़ का भुगतान निर्माण एवं आपूर्ति में अनुरूप प्रगति के बिना किया गया । रक्षा मंत्रालय ने तथापि दिसम्बर 2004 के बाद कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया, क्योकि मॉनीटरिंग सेल ने बाद में केवल पी एम एस पुल की तीन पूर्ण सेटो की सुपुर्दगी के पश्चात अतिरिक्त भुगतान करने की संस्तुति की । प्रथम दो सेटो की 2011 में तथा और दो सेटों की सुपुर्दगी 2012 मे पूरी की गई तथापि, आपूरित सभी चार सेट मोटर टग लांचिंग (एम टी एल-बोट) के बिना थे। इस प्रकार नवम्बर 2013 तक ₹313.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान करने के बावजूद सेना को केवल दो पी एम एस पुल का पूरा सेट प्राप्त हुआ।

अतैव, यह मामला प्रकट करता है कि पी एम एस पुल के निर्माण एवं आपूर्ति की निगरानी करने का विशिष्ट उत्तरदायित्व होने तथा तदनुसार बी ई एम एल को अग्रिमों के भुगतान के लिए संस्तुति देने के बावजूद मॉनीटरिंग सेल ने कार्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित किए बिना ₹110 करोड़ के भुगतान के लिए संस्तुति दी।

यह मामला जून 2013 में मंत्रालय को भेजा गया जिसपर उनका उत्तर अभी तक (नवंबर 2013) प्रतीक्षित है।

2.5 आवश्यक नियंत्रण के अभाव में बकाया देय की वसूली न होना

संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशन से प्रेषित देय के लेखांकन में प्रभावपूर्ण नियंत्रण के अभाव के कारण एक बड़ी बकाया राशि का संचय हुआ जिसमें चार मिशनों से देय ₹73.84 करोड़ उनके बन्द होने के कारण वापिस न मिलने की संभावना सम्मिलित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.) के साथ मेमोरंडम आफ अन्डरस्टेंडिग (एम.ओ.यू.) के अंतर्गत, भारत कई देशों में फैले संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति मिशन (पी.के.एम.) के लिए सशस्त्र सैनिक टुकड़ियों, गठित पुलिस ईकाइयों (एफ.पी.यू.), सेना और सैनिक टैंक टुकडियों (सी.ओ.ई.) का योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असैम्बली द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर भारत को उसके इस योगदान के लिए प्रर्तिपूति करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह भुगतान पिछले माह के अंत तक बनी व्यक्तिगत लागत तथाजो पिछली तिमाही के अंत तक टैंक संबंधी लागत प्रर्तिपूति प्रत्येक तिमाही के अन्त में करता है।

यह भुगतान भारत सरकार को उसके न्यूयॉर्क में स्थित स्थायी मिशन (पी.एम.आई.) जो प्रत्येक शांति मिशन के लिए अलग-अलग बैंक खाते रखता है और राशि संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को प्रेषित करता है।

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ लेन देन का हिसाब अपने न्यूयॉर्क स्थित पी.एम.आई. के द्वारा करता है। पी.एम.आई. बकाया वापसी भुगतान के मामले यू.एन. सचिवालय के साथ लगातार चर्चा, संयुक्त राष्ट्र जनरल असैम्बली के साथ सभाओं और पांचवीं समीति (प्रशासनिक एवं वित्तीय) के साथ वार्तालाप द्वारा व्यस्त रहता है। रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) के प्रतिनिधि दल भी वार्ता के साथ-साथ बकाया देय राशि के भुगतान के लिए यू.एन. जाते रहते हैं।

शांति मिशन में भारतीय योगदान के लिए प्रतिपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच (फरवरी 2012) में पता चला कि प्रतिपूर्ति के लिए के लिए निर्धारित समय सीमा के बावजूद विशेषकर सी.ओ.ई. के लिए एक बड़ी राशि यू.एन पर बकाया थी। कई शांति मिशन पर जनवरी 2012 तक 81.15 मिलियन यू एस डालर बकाया राशि थी। राशि का विवरण इस प्रकार हैः-

अ. 67.78 मिलियन यू एस डालर, ₹374.19 करोड़ के बराबर सक्रिय मिशनों के लिए प्रतिपूर्ति से संबंधित था। इस राशि में वर्तमान एवं इससे पहले की देयता शामिल थी।

ब. 13.37 मिलियन यू एस डालर, ₹73.84 करोड़ के बराबर चार मिशन से संबंधित जो 17 साल पहले यू.एन. द्वारा बंद कर दिये थे जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः

क्र.सं.	मिशन का नाम	बंद होने का वर्ष	देय राशि	
			(यू.एस मिलियन में)	(₹करोड़ में)
1.	यू एन ओ एस ओ एम	1995	12.16	67.11
2.	यू एन टी ए सी	1993	0.52	2.88
3.	यू एन ई एफ	1967	0.26	1.44
4.	ओ एन यू सी	1964	0.43	2.41
		कुल	13.37	73.84

यू.एन. ने बंद हो चुके मिशन के बकाया राशि के बारे में पी.एम.आई., न्यूर्याक को सूचित (नवंबर 2012) किया कि 12.68 मिलियन यू एस डालर की यू एन ओ एस ओ एम और यू.एन.टी.ए.सी. के लिए राशि का भुगतान रोकड़ घाटे के कारण नहीं हो सका। अतः 12.68 मिलियन यू एस डालर राशि का भुगतान की संभावना नहीं के बराबर है।

लेखा परीक्षा (फरवरी 2012) द्वारा देरी से निपटान होने के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए पी.एम.आई. न्यूयार्क में कई पी.के.एम. के लेखाओं के रखरखाव एवं नियंत्रण संबंधित दस्तावेजीकरण की जाँच की गई। हमने पाया कि पी.एम.आई. ने यू.एन. से देय राशि के भुगतान के लिए संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव नहीं किया और जिसके कारण कई पी.के.एम. के प्रति बकाया प्रतिपूर्ति राशि किसी निश्चित समय पर पी.एम.आई. के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं थी। संबंधित विवरणों के लिए पी.एम.आई. एवं रक्षा मंत्रालय ने यू.एन द्वारा दिए आंकड़ों पर अपरिहार्य रूप से विश्वास किया। स्पष्टतः बकाया देय की वसूलियों के पड़ताल लिए आवश्यक नियंत्रण त्रुटिपूर्ण थे जिसके कारण एक बड़ी देय राशि, जिसमें ₹73.84 करोड़ सम्मिलत है, जिनकी वसूली अनिश्चित है, एकत्रित हुई।

लेखा परीक्षा जांच (फरवरी 2012) में यह पाया कि जबकि पी.एम.आई./एम.ओ.डी. ने यू एन द्वारा भेजे गए आकड़ों पर भरोसा किया, यू. एन. द्वारा भेजे गए आंकड़ें भी एकरूप तथा पूर्ण नहीं थे। बन्द हो चुके मिशन ओ एन यू सी के विरूद्ध 43570 यू एस डालर की बकाया राशि तथा मिशन यू एन ई एफ के विरूद्ध 261339 यू एस डालर की बकाया राशि को जनवरी 2011 तक अपने प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया गया था, यद्यपि ये मिशन क्रमशः वर्ष 1964 एवं 1967 में बंद हो चुके थे। इन विसंगतियों ने उन सूचना स्रोतों की कमियों की तरफ इशारा किया जिन पर भारत सरकार ने भरोसा किया और इसलिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण के साथ एक अच्छे परिभाषित लेखांकन व्यवस्था को आवश्यक बनाता है।

मामला नवंबर 2012 में विदेश मंत्रालय (एम ई ए) को भेजा गया था, उनका उत्तर प्राप्त हो गया था (अप्रैल 2013)। अपने उत्तर में एम ई ए ने कहा यू एन से बातचीत के लिए पी एम आई प्रांरभिक बिंदु था तथा इसका कार्य यू एन से मिले क्रेडिट को प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (पी सी डी ए) को सूचित करने तक सीमित था। इसके आगे कहा गया कि यू.एन.पी. के. एम. में भारत की भागीदारी से संबंधित लेखों के लिए एम.ओ.डी. एवं पी.सी.डी.ए. केन्द्र बिन्दु है। एम.ई.ए. का यह तर्क एम.ओ.डी. के कथन से विपरीत था, जिसमें कहा गया था (जुलाई 2009) कि पी के एम में भारत की भागीदारी के प्रतिपूर्ति दावों की जांच पी एम आई के कार्य क्षेत्र में आती है। अतः इससे स्पष्ट है कि लेखांकन तथा यू एन से पी के एम से संबंधित देयताओं की वसूली का दायित्त्व पी एम आई और एम ओ डी दोनों पर साफ नही था।

मामला रक्षा मंत्रालय के साथ भी उठाया गया था। रक्षा मंत्रालय में जून 2013 में कहा कि बंद हो चुके मिशनों के बकाया देयताओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया प्रचलित नहीं थी। प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावकारिता के बारे में आपत्ति के उत्तर में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण रूप से लागू नहीं थी क्योंकि इनमें से कुछ मदें अप्रचलित हो चुकी थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि मंत्रालय के प्रतिनिधि वार्तालाप के साथ बकाया देयताओं को निपटाने के लिए विभिन्न समयांतरालों पर यू एन मुख्यालय की यात्रा करते रहते हैं।

अतः यह मामला यह दर्शाता है कि यू एन से पी के एम से संबंधित वसूलियों के लिए लेखांकन के प्रभावी नियंत्रक के अभाव में और जिम्मेदारियों में अस्पष्टता के कारण बहुत ज्यादा बकाया राशि का संचय हुआ जिसमें ₹73.84 करोड़ की सम्मिलित थी वसूली की संभावना कम है।